ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार

(निर्वाचन विभाग)

क्रमांक: प.6(1)(2)रोल/निर्वा/2018/मतदान केन्द्र/ 3587 दिनांक 5-7-2018

प्रेषक : **मुख्य निर्वाचन अधिकारी,**
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

विषय : **अर्हता दिनांक 01.01.2018 के क्रम में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन एवं मतदाता सूचियों से संबंधित सूचना का सम्प्रेषण करने के संबंध में।**

प्रसंग : **भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक** 23//LET/ECI/FUNC/ERD-ER/2018 **दिनांक 27.06.18**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अर्हता दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन से पूर्व मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन एवं पुनर्गठन के विषय में दिशा–निर्देश प्रेषित किए गए है। आयोग के पत्र की प्रति आपको पूर्व में ईमेल के माध्यम से प्रेषित की गई है। सुलभ संदर्भ हेतु प्रति पुनः प्रेषित की जा रही है।

2. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से पूर्व मतदान केन्द्रों का शत–प्रतिशत भौतिक सत्यापन वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए है। यह कार्यवाही राज्य के परिपेक्ष्य में पूर्ण कर ली गई है। इसके पश्चात् आयोग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 एवं 1400 की गणना करने हेतु प्रासंगिक पत्र के द्वितीय पैरा में एक फार्मूला दिया गया है जिसके अनुसार वर्तमान में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करने के विषय में कार्यवाही की जानी है। कृपया इन निर्देशों का भलीभाँति अवलोकन करने का श्रम करें तथा मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के विषय में तद्नुसार प्रस्ताव तैयार करते समय इन निर्देशों का ध्यान रखा जाए।

3. आयोग ने प्रासंगिक पत्र के पैरा 3 में निर्देश दिए है कि आगामी संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान इनकी सभी स्तर यथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी स्तर से सूक्ष्म मॉनीटरिंग की जाए। इस हेतु आयोग द्वारा प्रासंगिक पत्र के साथ एक प्रर्फोमा निर्धारित कर प्रेषित किया गया है। इस हेतु **Google Drive** पर **Second Special Summary Revision, 2018 - Weekly Status Report** नाम **Excel Sheet Upload** की जा रही है। इस Excel Sheet में प्रत्येक गुरूवार को सप्ताह के दौरान तथा सप्ताह के अन्त तक कुल की सूचना अपडेट की जावें। प्रथम सूचना दिनांक 05.07.2018 की अपडेट की जावें। जिससे प्रत्येक शुक्रवार को भारत निर्वाचन आयोग को सूचना प्रेषित की जा सके, ताकि आयोग की प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली बैठक में किए गए कार्यो की समीक्षा की जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें एवं आयोग के निर्देशों से समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अविलम्ब सूचित किया जावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: प.6(1)(2)रोल/निर्वा/2018/मतदान केन्द्र/ दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
2. अति0 निजी सचिव, अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना अपलोड की जावें।
4. सांख्यिकी सहायक, निर्वाचन विभाग, जयपुर।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।